

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 62]

नवा रायपुर, गुरुवार, दिनांक 5 फरवरी 2026 — माघ 16, शक 1947

अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 3 फरवरी 2026

अधिसूचना

File No-GENCOR-35010/2601/2025/Tribal Section.— राज्य शासन, एतद् द्वारा विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 18 सितंबर 2019 को अतिष्ठित करते हुए हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 (The Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013) की धारा 26 की उप धारा (1) के अधीन निम्नानुसार राज्य अनुश्रवण समिति का पुनर्गठन करता है:—

क्र.	नाम / पद	पद
1.	माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन	अध्यक्ष
2.	माननीय मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, अनुसूचित जाति विकास विभाग	पदेन सदस्य
3.	माननीय अध्यक्ष, राज्य अनुसूचित जाति आयोग	पदेन सदस्य
4.	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिनिधि	पदेन सदस्य
5.	श्री पुन्नूलाल मोहले, माननीय विधायक, मुंगेली	सदस्य
6.	श्री डोमनलाल कोर्सवाड़ा, माननीय विधायक, अहिवारा	सदस्य
7.	पुलिस महानिदेशक	पदेन सदस्य
8.	अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग	पदेन सदस्य
9.	प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	पदेन सदस्य
10.	सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग	पदेन सदस्य
11.	सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	पदेन सदस्य
12.	आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, छत्तीसगढ़	पदेन सदस्य
13.	आयुक्त, नगर पालिक निगम रायपुर	सदस्य
14.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बिलासपुर	सदस्य
15.	एस.ई.सी. रेलवे बिलासपुर के द्वारा नामांकित रेलवे का एक प्रतिनिधि	सदस्य
16.	संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी	पदेन सदस्य
17.	प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आ.जा.वि.विभाग, अनु.जा.वि.विभाग, पि. वर्ग एवं अल्प संख्यक. विकास विभाग	सदस्य-सचिव
18.	श्री दिलीप सारथी, पिता स्व. श्री माखन लाल सारथी, माँ शारदा मंदिर के सामने, पारस नगर वार्ड नं. 13. रायपुर (छ.ग.)	सदस्य

19.	श्रीमती सुनिता कुर्रे, पति श्री दीनदयाल कुर्रे, ग्राम पंचायत तेंदुआ, थाना पाटन, जिला – कोरिया, बैकुण्ठपुर (छ.ग.)	सदस्य
20.	श्री राजपाल कसेर, जगदलपुर,	सदस्य
21.	सुश्री उत्तरा प्रहरे, पिता श्री रामलाल प्रहरे, वार्ड नं. 12 महासमुंद जिला महासमुंद. (छ.ग.)	सदस्य

2. यह समिति दि प्रॉहिबिशन ऑफ इम्प्लायमेंट एज मैनुअल स्केवेंजर्स एण्ड देयर रिहैबिलिशन एक्ट, 2013 (The Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013) की धारा 27 में वर्णित कर्तव्यों का निष्पादन करेगी ।

3. इस समिति की बैठक प्रत्येक छः माह में एक बार आयोजित की जावेगी ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, सचिव.